भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3921
सोमवार, 18 अगस्त, 2025 / 27 श्रावण, 1947 (शक)

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक

3921. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त पोर्टल पर विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में पंजीकरण की लक्षित संख्या प्राप्त कर ली है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,
(घ) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या कितनी है और ग्रामीण श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और
(ङ) क्या सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज और लाभों में सुधार लाने में ई-श्रम पोर्टल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारम्भ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और सहयोग प्रदान करना है।

12 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.99 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं।

जारी..2/-

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में, अनौपचारिक कामगारों की संख्या, अनुबंध I में दी गई है।

ई-श्रम पोर्टल पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अनौपचारिक कामगारों का ब्यौरा अनुबंध II में दिया गया है।

सरकार द्वारा ग्रामीण कामगारों में जागरूकता को बढाने के लिए के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करना।

ii. सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के साथ नियमित बैठक करना।

iii. रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

iv. सरकारी योजनाओं की वन-स्टॉप सर्च करने और उन्हें देखने के लिए ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

v. जागरूकता सृजित करने के लिए एसएमएस अभियान चलाना।

vi. ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए कामगारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है । असंगठित कामगारों को सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सेवा केन्द्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केन्द्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है।

vii. ई-श्रम योजना के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार के लिए पंजीकरण शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं । मंत्रालय द्वारा ये शिविर समय-समय पर सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) और राज्य श्रम विभाग के समन्वय से आयोजित किए जाते हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम और इससे संबंधित सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को और बढ़ाने हेतु , श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारम्भ किया। यह एप्लिकेशन, ई-श्रम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक रियल टाइम पहुंच की सुविधा प्रदान करता है , जिससे इसकी पहुंच और उपयोगकर्ता सुविधा दोनों मजबूत हुए हैं।

ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा ई-श्रम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन/प्रभाव आकलन किया गया है।

** *****

अनुबंध-I

'ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक' के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3921 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 12.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत अनौपचारिक कामगारों की संख्या।

राज्य का नाम	**लक्ष्य**	**कुल पंजीकरण**
मध्य प्रदेश	2,39,00,510	1,89,40,070
महाराष्ट्र	3,44,80,382	1,78,62,879
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,72,402	75,445

अनुबंध II

'ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक' के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3921 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 12.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत अनौपचारिक कामगारों का ब्यौरा।

राज्य का नाम	**कुल**
मध्य प्रदेश	1,61,37,657
महाराष्ट्र	1,40,76,402
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	66,222

****